(वाद सं0.-4455/4/2/2020)

09.04.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, वासुदेव राम को पेंशन बंद करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, मदनपुर शाखा, औरंगाबाद** से प्रतिवेदन की मांग की गई थी । **शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, मदनपुर शाखा, औरंगाबाद** द्वारा प्रतिवेदित किया है कि " **परिवादी, श्री वासुदेव राम जो हमारे शाखा के ग्राहक है, इनकी पेंशन जो पिछले छः माह से नही आ रही थी, वो समस्या का समाधान हो चुकी है। वस्तुतः ये पहले कोलकत्ता में कार्यरत थे एवं इनका पेंशन कोलकाता से ही आ रही थी, चूंकि ये सिर्फ अपना बचत खाता अंतरण किए थे और पेशंन को नही किए। अब इनका सारा बकाया राशि दिनांक 25.11.20 को इनके बचत खाता में जमा हो चुंकि है।**"

शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मदनपुर शाखा, औरंगाबाद के प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई थी । परिवादी (वासुदेव राम) अपने प्रत्युत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि उसे भारतीय स्टेट बैक, मदनपुर शाखा, औरंगाबाद द्वारा बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।

अब जबकि राज्य आयोग के आदेश के अनुपालन मे परिवादी के शिकायत का समाधान कर दिया गया है तथा अब परिवादी को भारतीय स्टेट बैंक, मदनपुर शाखा, औरंगाबाद से कोई शिकायत नही रह गई है तो ऐसी परिस्थिति में **शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मदनपुर शाखा, औरंगाबाद** को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार , आज पारित आदेश की प्रति को संलग्न करते हुए परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक